

अवैध शराब बेचने वालों पर दबिश की खानापूरति

कान्हीवाड़ा पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल खबर छपते ही जागी पुलिस, दुकानों में दबिश देकर पुलिस ने निभाई औपचारिकता

सिवनी नवभारत। जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र में लंबे समय से फल-फूल रहे अवैध शराब के कारोबार पर आखिरकार पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। समाचार पत्र में क्षेत्र में धड़कें से बिक रही अवैध और कच्ची शराब को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद कान्हीवाड़ा पुलिस हरकत में आई। हालांकि, पुलिस की इस अचानक जागी सक्रियता और कार्रवाई के तरीके पर अवैध शराबीयों के बीच तरह-तरह की चर्चाएँ शुरू हो गई हैं।

क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में बेखोफ बिक रही अवैध अंग्रेजी, देशी और हाथ भट्ठी की कच्ची शराब के कारण माहौल खराब हो



रहा था। समाचार पत्र द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कान्हीवाड़ा पुलिस ने आनन-फानन में कार्रवाई की रणनीति बनाई। खबर का असर यह हुआ कि महीनों से बेखबर बैठी पुलिस टीम अचानक सड़कों और दुकानों पर नजर आने लगी। पुलिस बल ने कान्हीवाड़ा

थाना क्षेत्र के ड्यूटी ग्राम स्थित संदिग्ध दुकानों और अड्डों पर ताबड़तोड़ दबिश दी। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों की मानें तो पुलिस की यह कार्रवाई महज एक खानापूरति बनकर रह गई। पुलिस ने औपचारिकता निभाने के लिए कुछ स्थानों पर तलाशी ली, मगर कोई बड़ी जब्ती या मुख्य शराब माफियाओं पर

शिकंजा कसने में सफलता नहीं मिल सकी। सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि कान्हीवाड़ा पुलिस जिस गुप्तचर की सूचना और भारी तामझाम के साथ ड्यूटी ग्राम पहुँची थी, उसका असर शून्य जैसा रहा। पुलिस के कदम गाँव में पड़ने से पहले ही अवैध शराब बेचने वाले और वहाँ बैठकर जाम छलका रहे शराबी रफूचक़र हो चुके थे।

ग्रामीणों का कहना है जब पुलिस गाँव में घुसी, तो सारे अड्डे खाली पड़े थे। ऐसा लगता है कि पुलिस के आने की भनक शराब कारोबारियों को पहले ही लग चुकी थी। अगर सूचना इतनी गुप्त थी, तो कारोबारी पहले से सतर्क कैसे हो गए

पुलिस की इस सुस्त और

नाटकीय कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों में भारी निराशा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कान्हीवाड़ा पुलिस केवल कागजी कार्रवाई और वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने के लिए ऐसी दबिश का नाटक करती है।

दोस कार्यवाही की मांग
कच्ची और अवैध शराब के मुख्य सरगनाओं पर अब तक दोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। स्थानीय नागरिकों ने सिवनी पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि कान्हीवाड़ा क्षेत्र में बिक रही अवैध शराब पर निम्नक्ष और कड़े कदम उठाए जाएँ, ताकि क्षेत्र का माहौल खराब होने से बच सके और इस अवैध कारोबार पर पूर्णतः अंकुश लग सके।

रक्तदान के माध्यम से दिया पर्यावरण और मानव सेवा का संदेश

सिवनी नवभारत। जन समस्या निवारण संस्थान, सिवनी द्वारा आज द टॉपस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, सिवनी में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संस्थान की जिला अध्यक्ष श्रीमती पार्वती डहेरिया के नेतृत्व एवं विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती साहिबा खान की अध्यक्षता में किया गया।

संस्थान की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती अमृता बेदी के जम्नोत्सव के अवसर पर फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प लिया।

संस्थान द्वारा बताया गया कि जन समस्या निवारण संस्थान अपने पदाधिकारियों के जम्नोत्सव जैसे शुभ अवसरों को समाजहित से जोड़ते हुए पौधरोपण जैसे प्रेरणादायी कार्य



करता है। संस्था का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ समाज में सेवा और जागरूकता की भावना को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में संस्थान की जिला उपाध्यक्ष अमृता बेदी ने अपने जन्मोत्सव पर जिला अस्पताल, सिवनी में छठी बार रक्तदान कर मानवता की उत्कृष्ट मिसाल प्रस्तुत की। संस्थान ने इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे जनहितकारी कार्यों में भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्थान की जिला अध्यक्ष पार्वती डहेरिया, जिला उपाध्यक्ष अमृता बेदी, जिला उपाध्यक्ष

(विधि प्रकोष्ठ) एडवोकेट देवेन्द्र डहरवाल, नगर उपाध्यक्ष (विधि प्रकोष्ठ) शालीनी डहेरिया, सदस्य सीता डहेरिया, लक्ष्मी बघेल, इरफान खान, फातिमा अंजुम, स्नेहा दुबे, शारदा कुमारे सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं जनसेवा के प्रति जागरूकता विकसित करना रहा। जन समस्या निवारण संस्थान ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे जनहितकारी अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे और समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करते रहेंगे।

एक नजर में कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 163 लागू भीड़ पर लगा प्रतिबंध

सिवनी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर एवं उसके 100 मीटर की परिधि में आगामी दो माह तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कलेक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। परिसर में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस अथवा रैली आयोजित नहीं की जा सकेगी। बिना पूर्व अनुमति कोई भी व्यक्ति ज्ञापन देने अथवा कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। साथ ही लाठी, डंडा या अन्य धातुक हथियार लेकर परिसर में प्रवेश करना भी प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ज्ञापन देने के इच्छुक व्यक्तियों को पूर्व में अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा कार्यपालक दण्डाधिकारी को सूचना देनी होगी। अनुमति मिलने पर भी केवल अधिकृत प्रतिनिधि ही ज्ञापन प्रस्तुत कर सकेगे तथा भीड़ को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कलेक्ट्रेट परिसर अथवा उसके आसपास यातायात बाधित करने, सड़क जाम करने या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। प्रशासन ने बताया कि यह आदेश शासकीय कार्यों के सुचारु संचालन, आमजन की सुविधा तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। यह आदेश 01 अगस्त 2026 से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

1 जून से अब तक जिले में 505.5 मिमी वर्षा

सिवनी। जिले में मानसून की सक्रियता जारी है। भू-संसाधन प्रबंधन कार्यालय द्वारा जारी दैनिक वर्षा प्रतिवेदन के अनुसार 01 जून से 01 अगस्त 2026 तक जिले में 505.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। वहीं 01 अगस्त को जिले में 7.0 मिमी औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई। प्रतिवेदन के अनुसार 01 अगस्त को सिवनी तहसील में सर्वाधिक 20.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त कुरई में 11.4 मिमी, धनोरा में 11.0 मिमी, लखनादीन में 2.2 मिमी, छपारा में 5.2 मिमी, बरघाट में 3.3 मिमी, केवलारी में 1.0 मिमी तथा घंसीर में 1.0 मिमी वर्षा दर्ज की

17 विभागों के 117 लंबित प्रकरणों का हुआ परीक्षण

सिवनी। जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं पात्र परिवारों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना की पहल एवं मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को प्रधानमंत्री उत्कृष्ट शासकीय सातकोत्तर महाविद्यालय, सिवनी के ऑडिटोरियम हॉल में वृहद अनुकंपा नियुक्ति शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह ने की। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर लंबित प्रकरणों का विभागावर परीक्षण किया गया, जिससे आवेदकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शिविर में जिले के विभिन्न विभागों से संबद्ध 117 आवेदक उपस्थित हुए। इनमें जनजातीय कार्य विभाग के 46, शिक्षा विभाग के 27, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17, राजस्व विभाग के 2, मत्स्य विभाग का 1, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 4, कृषि विभाग का 1, पशुपालन विभाग का 1, वन विभाग के 4, उद्यानिकी विभाग का 1, होममाई विभाग का 1, नगरीय प्रशासन विभाग के 4, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का 1, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का 1, लोक निर्माण विभाग के 2, स्वास्थ्य विभाग के 2 तथा जल संसाधन विभाग के 2 प्रकरण शामिल रहे।



गुरु पूर्णिमा पर मेधावी छात्रा प्रीत पटले का सम्मान
सिवनी नवभारत। उत्कृष्ट विद्यालय बरघाट में आयोजित शिवलाल उत्कृष्टता समारोह के अंतर्गत मंत्र की मेरिट लिस्ट में पांचवा स्थान सुनिश्चित करने पर कुमारी प्रीति पटले पिता खरगपाल पटले को सम्मानित किया गया। ग्राम कांचना को 5100 रु. परितोषिक प्रदान किया गया। उ.वि. विद्यालय एवं प्राचार्य श्री बिसेन के द्वारा उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

बैनगंगा से जल भरकर वीर वटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेंगे कांवड़िए

सिवनी नवभारत। सावन के पावन आगमन के साथ ही चारों ओर 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' की गूंज है। कांवड़िए कावड़ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। इसी तारतम्य में बारापत्थर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी समता नगर स्थित वीर वटकेश्वर महादेव मंदिर से सावन के प्रथम सोमवार 3 अगस्त को प्रातः कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। जो कि लखनवाड़ा स्थित पतित पावनी मां बैनगंगा

से कांवड़िए कावड़ में जल भरकर कांधे में लाते हुए सर्वप्रथम मठ मंदिर में महाकाल का जलाभिषेक करेंगे। तत्पश्चात नगर भ्रमण करते हुए बारापत्थर स्थित वीर वटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंच कर सह परिवार विराजित भगवान भोलानाथ का गंगाजल से अभिषेक किया जाएगा। मंदिर के पुजारी पंडित मोहन पांडे एवं वीर वटकेश्वर महादेव मंदिर के स्थापक, सेवादार जितेन्द्र सिंह ने परिवार सहित

सभी सनातनी से अधिक से अधिक संख्या में कांवड़ यात्रा में शामिल होने का निवेदन किया है। वहीं दुर्गा चौक माता राजराजेश्वरी दुर्गा मंदिर के आचार्य श्री राजेंद्र पांडे ने बताया कि कावड़ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति त्याग, संयम और अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। कावड़ यात्रा से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।

बैठक

बरघाट विकास खंड के समस्त राशन विक्रेताओं ने दी उपस्थिति

जन विश्वास अभियान के तहत जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने ली क्लास

धारनाकला नवभारत। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया जाने वाला मुख्य मन्त्री जन विश्वास अभियान के तहत आम जनता की शिकायतों के त्वरित निराकरण शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शी प्रशासन को सुनिश्चित करने की दिशा में जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी देवेन्द्र खोबरिया ने बरघाट विकास खंड के समस्त राशन विक्रेता खाद्य परिवहन कर्ता की आवश्यक बैठक लेते हुए शासन के मापदंड तथा खाद्यान्न वितरण से जुड़ी आवश्यक गतिविधियों को समझाते हुए कहा की यह सरकार की आवश्यक सेवा है और इस इस सेवा के तहत प्रत्येक गरीब परिवार तथा उपभोक्ता को समय



सीमा में राशन का वितरण आवश्यक है तथा यह भी समझाई देते हुए कहा है की यह अभियान 07 अगस्त 2026 से 08 जनवरी 2027 तक चलेगा और यह अभियान प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित होगा जिसमें अधिकारी और जन प्रति निधी गांवों तथा शहरो शहरी वार्डों का भ्रमण तथा

दौरा करेंगे जिसका उद्देश्य जनता की समस्याओं को सीधे सुनना पात्र शिकायतों का तुरन्त समाधान करना और जमनी स्तर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करना है इस लिये आप समय सीमा में आवश्यक सेवा गरीबों के घर तक राशन समय सीमा में पहुंचे इस दिशा में नियम से कार्य करें ताकि

मध्य प्रदेश सरकार की जन विश्वास अभियान की सफलता एक अच्छा संदेश देते हुए कारगर साबित हो। यहा यह बताया भी लाजिमी है की बरघाट विकास खंड लम्बे अंतराल के बाद जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के द्वारा सीधे संवाद तथा खाद्यान्न से जुडी समस्याओं को सुना गया है।

राशन विक्रेताओं ने सौंपा ज्ञान
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी देवेन्द्र खोबरिया को बरघाट विकास खंड के राशन विक्रेताओं ने ज्ञान सौंपते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया की गोदाम से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न में अत्यधिक मीन होने के चलते उन्हें प्रति माह राशन घट रहा है तथा गोदाम से प्राप्त होने वाली चावल तथा गेहू की वरिधियों में आठ से दस दिनों में प्रत्येक बोरी पर दो से तीन किलो की घटत आ रही है इस बात को गंभीरता से लेते हुए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने त्वरित जांच का आश्वासन देते हुए सलाह दी है प्रत्येक राशन विक्रेता अनाज की बोरिया का तौल करके ही राशन प्राप्त करें और आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में त्वरित निराकरण का आश्वासन भी राशन विक्रेताओं को दिया गया है।

बरघाट नगर परिषद से नंदकिशोर मसराम सेवानिवृत्त



साथी कर्मचारियों के लिए हमेशा प्रेरणा रही। समारोह में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू, उपाध्यक्ष श्रीमती ममता अनिल पाठक, सभापति अभिलाष मालवी, सभापति श्रीमती निधि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं समस्त कर्मचारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। सभी ने श्री मसराम का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वक्ताओं ने कहा कि श्री मसराम का योगदान नगर परिषद में सदैव याद रखा जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी ने श्री मसराम को सेवानिवृत्ति के बाद स्वस्थ एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन श्री अनिल पाठक, सांसद प्रतिनिधि द्वारा किया गया।

फर्जी पत्रकारों पर लगाम जरूरी : आनंद खरे

सिवनी नवभारत। म.प्र. श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला निकाय के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला मुख्यालय सिवनी अपितु महाकौशल प्रांत के वरिष्ठ पत्रकार आनंद खरे ने राज्य शासन के साथ ही जिला प्रशासन सिवनी के नाम जारी एक विनय विशेष अपील में अपेक्षा की है कि इस जिले के समूचे नगरीय कस्बाई एवं ग्रामीण अंचलों में वर्तमान परिवेश में फर्जी, स्वभू, स्वनाम धन्य कथित पत्रकारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्यवाही करते हुए उनसे प्रताड़ित समाज सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं तथा गैर सरकारी संस्थानों, स्वायत्त निकायों में कार्यरत व्यक्तियों को राहत के साथ ही न्याय मिले जो कि इन कथित पत्रकारों की बेजा हरकतों, उर्दंडता का शिकार होकर बेहद परेशान है और अनावश्यक रूप से मानसिक, शारीरिक व आर्थिक स्वरूप में शोषित प्रताड़ित हो रहे हैं जिससे इन आतातईयों से प्रताड़ित हो रहे व्यक्तियों को नैसर्गिक न्याय मिल सके और वे स्वच्छ होकर अपने-अपने कर्तव्यों का पालन समूची निष्ठा, पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन कर सकें जो कि अपरिहार्य व सम-सामयिक है।

इसके लिए प्रशासन को भी अविलम्ब है एक कार्य योजना बनाकर ऐसे छद्म पथभ्रष्ट व्यक्तियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जानी चाहिए तब जाकर शोषित पीड़ित व्यक्तियों, संस्थाओं को अनाचार से मुक्ति मिल सकेगी।

पत्रकार श्री खरे ने यहाँ जारी अपनी अपील में सभी मान्यता प्राप्त, पत्रकारों से भी अपेक्षा की है कि उन्हे भी इस संदर्भ में प्रशासन को यथार्थपूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुए की जाने वाली

बेनामी पत्रकारों को पुलिस ने रोका

समूचे महाकौशल अंचल में वर्तमान परिवेश में फर्जी पत्रकारों की बाढ़ सी आ गई इसी क्रम में बीते दिन पड़ोसी जिले बरघाट में फर्जी पत्रकारों द्वारा प्रताड़ित अनेकों ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव की शिकायतों पर पुलिस ने सज्जान लेकर कलिय बेनामी पत्रकारों को भारतीय संहिता संहिता की अपराधिक धाराओं में गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही की है, अस्तु अपेक्षा की जाती है कि इस जिले में ऐसे बेनामी तत्वों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही कर निरीह व्यक्तियों को आर्थिक एवं मानसिक शोषण से मुक्ति मिल सके।

कार्यवाही में नैतिक रूप से सहयोग करना चाहिए जिससे पत्रकारिता जैसे पवित्र मिशन पर कलंक न लग सके और यही समय की महती आवश्यकता है। स्मरणीय है कि पत्रकार श्री खरे लगभग चार दशकों तक नवभारत पत्र समूह के नागपुर, जबलपुर एवं छिंदवाड़ा संस्करणों के स्थानीय व्यूरो चीफ रहे हैं वर्तमान में वे स्वतंत्र पत्रकार के स्वरूप में अपना मिशन जारी रखे हुए हैं।